

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित/वारंटी व सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध असलहों के वरामदगी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो० श्री त्रिवेणी सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.04.19 को मैं थानाध्यक्ष महाराजगंज विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराही फोर्स के लोक सभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि दौरान चेकिंग थाना क्षेत्र में स्थित महेशपुर मोड़ से एक नफर अभियुक्त राजीव विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामदरश विश्वकर्मा साकिन गोरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 16.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 77/19 धारा 3/25 A.ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को समक्ष मा० न्यायालय आजमगढ़ भेजा गया।

नाम-पता- अभियुक्त

1. राजीव विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामदरश विश्वकर्मा साकिन गोरखपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

2. मु०अ०सं० 77/19 धारा 3/25 A.ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. SO श्री विकासचन्द्र पाण्डेय थानाध्यक्ष महाराजगंज
2. का० नित्यानन्द सिंह
3. का० अविनाश यादव